

71 - (105)

810/111  
20.13-14

श्री २०१३-१४ का बजट अनुमानित व्यय विवरणिका का  
मि. संख्या १०६ - १२/१३/१४ का अंश २०१३-१४  
अनुसार, मि. संख्या १०६ - १४/३०८३१२७  
(१०२१०१)

क्र.	विवरण	रु.	प.
	12,500 = 100		
	12,500 = 100		

(बजट अनुमानित व्यय) का अंश

.....

.....

21/3/14

[प्रारूप 2 क.]

(नियम 4 देखिए)

### नाम निर्देशन पत्र

32 आरा सामान्य लोक सभा के लिए निर्वाचन

बीधे भाग 1 या भाग 2 इनमें से जो भी लागू न हो उतरे काट दें।

भाग - 1

सम्बन्धित प्राप्ति राजनीतिक दल द्वारा खसल किए गये अम्बुली द्वारा प्रयुक्त किया जाता है।

मैं 32 आरा सामान्य संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लोक सभा के निर्वाचन के लिए एक

अम्बुली के रूप में नाम निर्दिष्ट करता हूँ।

अम्बुली का नाम अम्बुली बाबुल पिता/पुत्राकृति का नाम श्रीवत्सल शरणशरण

इसका ठाक पता ग्राम + पोस्ट पदगौरा खाना अजमीगाबाद जिला कोलार

इनका वर्ष 32 आरा सामान्य संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट 195 अजमीगाबाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग संख्या 184 न क्रम संख्या 358 पर प्रविष्टि है।

मेरा नाम श्रीमद्वेषु एस।ए. जो 32 आरा सामान्य संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट 195 अजमीगाबाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग 08 में क्रम संख्या 02 पर प्रविष्टि है।

दिनांक 24 8.14

सुधीर नखाड

प्रस्तावक के हस्ताक्षर

## भाग - II

(सम्बन्धित प्रत्येक राजनैतिक दल द्वारा नहीं खड़ा किए गये व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त किया जाने के लिए)

हम एतद् द्वारा  संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के निर्वाचन के लिए एक अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्दिष्ट करते हैं।

अभ्यर्थी का नाम  पिता/भाता/पति का नाम

उसका जन्म पता

उसका नाम  संसदीय निर्वाचन क्षेत्र

(से सम्बन्धित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) की निर्वाचन नामावली के भाग सं.  क्रम संख्या  पर प्रविष्टि है।

हम घोषणा करते हैं कि हम उपरोक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक हैं तथा हमारा नाम उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में प्रविष्ट है जैसे कि नीचे उल्लिखित है और हम इस नाम निर्देशन की सहायता के एपज में अपना हस्ताक्षर नीचे करते हैं।

प्रस्ताव करने वाले व्यक्तियों का विवरण तथा उनका हस्ताक्षर

क्रम सं०	प्रस्तावक की निर्वाचक नामावली संख्या			पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या का नाम	निर्वाचक नामावली की भाग संख्या	उस भाग संख्या में क्रम संख्या			
1	2	3	4	5	6	7
1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

टिप्पणी : प्रस्तावक के रूप में निर्वाचन क्षेत्र के 10 (दस) निर्वाचक होने चाहिए।

### भाग - III

में भाग I/भाग II (जो लागू न हो उसे काट दें) में उल्लिखित अप्यर्थी इस नाम निर्देशन की अनुमति देता हूँ तथा एतद् द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि -

(क) मैंने 57 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है.

निम्नलिखित ख (i) या ख (ii) में से जो भी लागू न हो उसे काट दें.

(ख) (i) कि मैं इस निर्वाचन में वृत्तियन समाज पार्टी दल द्वारा खड़ा किया गया हूँ जो कि इस राज्य में एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल/राज्य-दल है और उपरोक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे आवंटित किया जाय।

या

(ii) कि मैं इस निर्वाचन में X दल द्वारा खड़ा किया गया हूँ जो एक पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल है। मैं यह निर्वाचन एक निर्दलीय अप्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ (जो लागू न हो उसे काट दें) तथा मैंने अधिमान्य क्रम में

(i) \_\_\_\_\_ (ii) \_\_\_\_\_ (iii) \_\_\_\_\_

प्रतीक चुना है।

(ग) कि मेरा नाम तथा मेरे पिता/माता/पति के नाम को उपर अंकित वर्तनी हिन्दी में (भाषा का नाम) सही है।

(घ) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं लोक सभा का स्थान भरने के लिए चुने जाने हेतु अर्हित हूँ और निरर्हित भी नहीं हूँ।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं उमर जाति/जनजाति का सदस्य हूँ जो बिहार राज्य के उत्तर

" उस राज्य में के 2 आर एम-4 (क्षेत्र) 195-201/3/31/9 810 770 से संबंधित अनुसूचित 414 उमर

जाति/जनजाति है।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि लोक सभा के वर्तमान में साथ में होने वाले सामान्य निर्वाचन/उप-निर्वाचनों के लिए दो से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से नाम निर्दिष्ट नहीं हुआ हूँ या किया जाऊँगा।

दिनांक 24/3/14

मोहन चन्द्र  
अप्यर्थी के हस्ताक्षर

★ जम्मू तथा कश्मीर, अंडमान तथा निकोबार द्वीप, चण्डीगढ़, दादर तथा नगर हवेली, दमन और दीव तथा लक्ष द्वीप की दशा में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र शब्दों को काट दीजिए

★ ★ यदि लागू न हो तो इस पैराग्राफ को काट दीजिए

★ ★ ★ यदि लागू न हो तो उन शब्दों को काट दीजिए

/जम्मू तथा कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप, चण्डीगढ़, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव तथा लक्ष द्वीप के मामले में लागू नहीं होगा

टिप्पणी : मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल से तात्पर्य संबंधित राज्य में निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण तथा आवंटन) आदेश 1968 के अधीन निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल।

भाग III - क

(अभ्यर्थी द्वारा भरा जायगा)

क्या अभ्यर्थी -

- (i) को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 8 क की उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) में, या (ख) की उप धारा (2) में विनिर्दिष्ट विधि के उल्लंघन के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया है; या
- (ii) उसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) में दोषी पाया, जिसके लिए उसे दो वर्षों या उससे अधिक का कारावास से दंडित किया गया है।
- यदि उत्तर "हाँ" है तो अभ्यर्थी को निम्नलिखित सूचनाएं देनी होंगी।

- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट सं./सं. शून्य
- (ii) पुलिस स्टेशन शून्य जिला (जिले) शून्य राज्य शून्य
- (iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धारायें) तथा अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके लिए उसे सिद्ध दोष ठहराया गया था शून्य
- (iv) दोष सिद्धि की तारीख (तारीखें) शून्य
- (v) वह न्यायालय (न्यायालयों) जिसने अभ्यर्थी को सिद्ध दोष ठहराया था शून्य
- (vi) अधिरुपित दण्ड कारावास (कारावासों) की कालावधि इंगित करें तथा/या जुर्माने की राशि उपदर्शित.....
- (vii) कारावास से छूटने की तारीख (तारीखें) शून्य
- (viii) क्या उक्त दोष सिद्धियों के विरुद्ध कोई अपील (अपीलें) पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी/थी शून्य
- (ix) अपील (अपीलें) पुनर्विचार याचिका (याचिकाओं) का विवरण तथा तारीख शून्य
- (x) न्यायालय का नाम जिसके समक्ष अपील (अपीलें)/पुनर्विचार याचिका (याचिकाओं) के लिए आवेदन दाखिल किया गया शून्य
- (xi) क्या उक्त अपील (अपीलें)/पुनर्विचार याचिका (याचिकाएं) का निपटारा कर लिया गया है या वे/वह अभी लंबित हैं शून्य
- (xii) यदि उक्त अपील (अपीलें)/पुनर्विचार याचिका (याचिकाओं) का निपटारा हो गया है तो
- (क) निपटारे की तारीख (तारीखें) शून्य
- (ख) पारित आदेश (आदेशों) का प्रकार (की प्रकृति) शून्य

दिनांक 24.3.2014  
स्थान भारा

रमेश चंद्र अहिर  
अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

**भाग - IV**

(रिटर्निंग अधिकारी द्वारा भरा जाए)

नाम निर्देशन पत्र की क्रम संख्या 02 यह नाम निर्देशन पत्र मुझे मेरे कार्यालय में  
24.3.14 (तारीख) को 4:55 P.M. बजे को अनर्थ/प्रस्तावक द्वारा दिया गया।

दिनांक 24.3.14  
जो शब्द लागू न हो उसे काट दें।

  
रिटर्निंग-ऑफिसर  
24/3/14

**भाग - V**

नाम निर्देशन पत्र स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी का विनिश्चय  
मैंने, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 36 के अनुसार इस नाम निर्देशन पत्र को जाँच लिया है  
और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ :-

दिनांक \_\_\_\_\_  
(छिद्रण) \_\_\_\_\_

५

रिटर्निंग ऑफिसर

गहरा 26"

11 भारत सरकार की ओर से  
3 कृष्ण कृष्ण दत्त शास्त्री  
739  
24314




निर्वाचन क्षेत्र से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) 32 भाग सीमा-य (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए पिटिंग अफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला सचयपत्र

भाग-क

मैं रमेश चन्द्र पांडेय \*\*पुत्र/पुत्री/पुत्री स्व. सीताराम राम  
आयु 59 वर्ष, जो सीमा + सी. कड़गाँव बागा मन्डीमबाद  
जिला बरौली (हाक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन

से अभ्यर्थी हूँ सत्यानिष्टा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ, राष्ट्र पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ-  
1) मैं बहुजन समाज पार्टी (\*\*राजनीतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/ \*\* एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।



1) मैं रमेश चन्द्र पांडेय को उसे काट दें)

2) मेरा नाम रमेश चन्द्र पांडेय (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में नाम रा 184 के प्रत्येक 58 पर प्रविष्ट है।

3) मेरा मोबाइल फोन नं 9430882927 है/ है और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) रमेश

4) स्याई लेक संचालक (पैन) के बारे में और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रास्थिति रमेश

क्रम सं०	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गयी है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रूप में)

1	स्वयं	शून्य	शून्य	शून्य
2	पति या पत्नी	शून्य	शून्य	शून्य
3	आश्रित-1	शून्य	शून्य	शून्य
4	आश्रित-2	शून्य	शून्य	शून्य
5	आश्रित-3	शून्य	शून्य	शून्य

6) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सख्त अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी-

I. निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	अपराधी नाम/संख्या 59/85 मेरठ, उत्तर
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	173 302, 307, 353, 334 एच 35 (1B) A) & L & 27 Armed Act 3/4
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	अति. मु. मु. 2 कोका/भारत 17-1-2014
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	अति. मु. मु. 2
(ङ)	आरोप (आरोपों) जिनके आरोप विरचित किए गए थे	17-1-2014
(च)	क्या सेना या कोई कार्यवाही किसी न्यायालय द्वारा अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा चलाई गई/है	नहीं

II. निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	शून्य
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	शून्य



(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शून्य
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विवरण की गई	शून्य
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	शून्य
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	शून्य

मदद(1) में वर्णित मामलों से भिन्न]-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शून्य
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे, जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	शून्य
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्यौरे	शून्य

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, को लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है:



यदि जर्मिनाली उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा:

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है:

(क)	उन मामलों के ब्यौरे अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	शून्य
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख(तारीखें)	शून्य
(ग)	अभिरोपित दंड	शून्य
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रस्थिति	शून्य

7 मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आशितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यारे नीचे देता हूँ,

अ. जंगम आस्तियों के ब्यारे-

टिप्पण 1- संयुक्त स्वामित्व की सीमा उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2- जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, रकम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यारे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3- सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में कंपनों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में घालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4- यहां आशित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5- रकम सहित ब्यारे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्रम सं.	विवरण	रकम	पति या पत्नी	आशित-1	आशित-2	आशित-3
i	हाथ में नकदी	50000/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii	बैंक खातों में जमा ब्यारे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खातों भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंकारी वित्तीय कंपनियों और नौवारी सांसाइंटियों के पास जमा किए गए प्रत्येक जमा में रकम	500	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
iii	कंपनियों, पारित्वरिक निधियों और अन्य में शेयरों/डिबेंचरों/शेयरों तथा मुद्रियों में विनिधान के ब्यारे और रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
iv	पारित्वरिक बचत योजना, डाक बचत, बीमा पॉलिसियों में विनिधान के ब्यारे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्ही वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
v	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फार्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अशिम और ऋणियों से अन्य प्राप्त तथा रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
vi	मोटरयान/वायुयान/याट /पोत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

Ebrahimian/SLG/form 26

	(मिंक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
vii	जोखम, बुकिंग और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के बंधों)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
viii	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ix	समग्र कुल मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

आ. स्थावर आस्तियों के बंधों

टिप्पण 1- संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करने हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2- प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रत्येक में पृथक्पृथक् वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
i	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थिति) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	मोना गौरी श्री ३२०४४	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (एकड़ में कुल भाग)	1 बीघा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	हां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वायंजित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित बालू बाजार मूल्य	५ लाख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थिति) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	मोना गौरी श्री ३२०४४	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (एकड़ में कुल भाग)	1/2 बीघा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	हां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वायंजित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित बालू बाजार मूल्य	३० हजार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
iii	ताम्रिजिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थिति) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	सूचक संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
iv	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	सौभाग्यवश प्राप्त नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	1/2 बरस	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	1/2 बरस	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	हां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सूचक संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	1 लाख 50 हजार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य (संपत्ति में हित)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	संपत्ति (V) से (V) का कुल अनुमानित चालू बाजार मूल्य	5,75,500/-	शून्य	1 लाख 50 हजार	शून्य	शून्य



8) मैं, संलग्न वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्योरे नीचे देता हूँ-

(टिप्पण: कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यक्ति के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्योरे का पृथक बिकरण दें)

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
1	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, प्रकार, रकम, ऋण की प्रकृति)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यक्तियों/निकाय को ऋण या शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



	नाम, पता, रकम आदि की प्रकृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य दायित्व	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	दायित्वों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii	सरकारी शोध/ सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	टेलीफोन/ मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकॉप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	आय-का शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	ब्याज शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	समाप्त शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	आवास/ भू-संपत्ति कर शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विक्रय कर शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
iii	सभी स्वामी शोधों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
iv	नाम, कोई अन्य दायित्व विवरणहीन है, यदि हाँ तो अंतर्लिखित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



9) पृष्ठ पर उपरोक्तिका के ब्यौरे-

(क) स्वयं कृषि

(ख) पति या पत्नी (श्री/श्री) N.A.

10) मेरी मौखिक अर्ज्ञता नीचे दिखे अनुसार है-

साक्षर

(प्रमाणपत्र/ डिप्लोमा/ डिग्री) पाठ्यक्रम के पूर्ण प्रत्येक का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/ विश्वविद्यालय कक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/ महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें।

भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गये ब्यौरे का उद्धरण

1	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/शुद्ध <u>रमेश चन्द्र शर्मा</u>				
2	डाक का पता	<u>छात्रावास: सुदुर्गाबाई आजीमावाडी</u> <u>गोवर्धनी</u>				
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	<u>32 शारा स्वामान्य विहार</u>				
4	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	<u>बहुजन समाज पार्टी</u>				
5	i) ऐसे ललित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरहित किए गए हैं	<u>(1) एक</u>				
	ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (उपर मद् (i) उल्लिखित मामलों से भिन्न)	<u>2 एक</u>				
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धांतपत्र उद्घाटन गथा एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)	<u>शून्य</u>				
		का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गयी है।	कुल वसूल आय		
	(क) अभ्यर्थी	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>		
	पति या पत्नी	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>		
	(ख) आश्रित	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>		
8	आदिश्यों और धाकित्वों के ब्यौरे (रुपये में)					
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क	जंगम आदिश्या (कुल मूल्य)	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>
ख	स्थावर आदिश्या	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>
	i स्वआश्रित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>
	ii क्रय के पर्याप्त स्थावर संपत्ति की विवेक/संनिर्माण लागत	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>



टिप्पण: 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3.00 बजे अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण: 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण: 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़ें, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थित "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण: 4. शपथपत्र टंकित या सुपादयरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण: 5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिस्जैस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गए न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जांच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो "शून्य" या "लागू नहीं" या 'ज्ञात नहीं' जो उपयुक्त हो, ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पण: 6. शपथ पत्र के धारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

"मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्याएँ है/हैं 9430882927, 9308851785  
मेरा ई-मेल आईडी(ए) (अगर कोई हो) है शून्य  
एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है शून्य



original/Duplicate  
(original to be kept with nomination paper and  
Duplicate to be handed over to candidate)

**Check List of documents in connection with filing of nomination**

Name of constituency ..... 32-आरा  
Name of the candidate ..... रमेश चन्द्र लोका  
Date and time of filing nomination paper ..... 27-03-2014, 1:55 PM  
Sl. No. of nomination paper .....

Sl. No.	Documents	whether file (write yes/no)
1.	Affidavit in Form 26	Yes
2.	affidavit as per the Commission's order dated 27-03-03	Yes
3.	Certified extract of electoral roll (when candidate is an elector of a different constituency.	NIL
4.	Forms A and B (applicable in the case of candidates setup by political parties.	Yes
5.	Copy of caste certificate (if the candidate claims to belong to SC/ST).	Yes
6.	Security deposit (whether made)	Yes
7.	Oath/affirmation (whether taken)	Yes

The following documents which have not been filed should be filed as indicated below:

(a) \_\_\_\_\_ should be filed latest by \_\_\_\_\_

(b) \_\_\_\_\_ should be filed latest by \_\_\_\_\_

**Received.**

Signature of (candidate)

date & time:

Place \_\_\_\_\_


N.B.

1. The two affidavits and Forms A&B have to be filed latest by 32-आरा संसदीय last date of filing nominations.

2. Oath has to be taken after filing nomination paper and before the date fixed for scrutiny.

3. Certified extract of electoral roll can be filed upto the time of scrutiny.

4. security deposit should be made either before filing of nomination paper or at the time of filing of nomination paper. Therefore, there is no question of issuing noticee for making the security deposit

  
RO/ARO 29/03/14  
(signature)

निवाची पदाधिकारी

REQUEST FORM

Basic information/ details about individual candidates standing in Parliamentary General Election- 2014.

1. No. and Name of parliamentary Constituency: 32 ARRAH GENERAL
2. Full name of Candidate: RAMESH CHANDRA BADAL
3. Sex: MALE
4. Age: 59 YEARS
5. Party: BAHUJAN SAMAJ PARTY  
(mention 'independent' if not set-up  
by political party)
6. City/ area of native place: VILLAGE+POST - BARGAON, P.S.  
AZIMABAD DIST- BHोजपुर BIHAR  
please enter your contact details below)
7. Full Address: VILL+PO - BARGAON P.S AZIMABAD,  
DIST- BHोजपुर, BIHAR
8. Landline phone no: N.A
9. Mobile phone no: 9430882927
10. Email address (if any): N.A
11. Website address (if any): N.A

सेवा में,

निर्वाची मदाधिकारी,  
32-आरा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र।

विषय - नाम का शुद्ध हिज्जे के संबंध में।

महाराज्य,

सादर सूचित करना है कि मैं रमेश चन्द्र बादल

32-आरा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र का एक अम्बयी हूँ। मेरे नाम का शुद्ध हिज्जे (Spelling) निम्न प्रकार है-

1. हिन्दी में-

रमेश चन्द्र बादल

2. In English-

RAMESH CHANDRA BADAL

विश्वासभाजन

रमेश चन्द्र बादल

(अम्बयी का नाम)

32-आरा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र

19

(अध्याय-5 पैरा 21.2)

## शपथ अथवा प्रतिज्ञान का फार्म

(भारत के संविधान का अनुच्छेद 84 क)

लोकसभा हेतु निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी द्वारा भरा जाने वाला  
में रमेश चन्द्र वादेल जो  
लोकसभा में स्थान भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ  
हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ/सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं  
विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा  
रखूँगा और मैं भारत की प्रभुता और अखण्डता की अक्षुण्ण रखूँगा।

रमेश चन्द्र वादेल

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर एवं स्पष्ट अक्षरों में नाम)

(शपथ के लिए प्राप्ति रसीद का प्रमाण पत्र)

(प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अभ्यर्थी को दिया जाने वाला)

श्री/श्रीमती रमेश चन्द्र वादेल

(माह) 24 अक्टूबर 2014

को राजधानी निर्वाचन क्षेत्र स्थान पर 2:00 PM

जजे मेरे समक्ष ईश्वर की शपथ ली/सत्य  
निष्ठा से प्रतिज्ञान किया।

20

राजधानी निर्वाचन क्षेत्र  
24/10/14

(प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर)

**निर्वाची: सहायिका**  
32-आरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र

१. नाम: Ramesh Chandra Sinhal  
 २. पता: ...  
 ३. ...  
 ४. ...




समस्त नौगरी परिवार  
 आरा, भोजपुर  
 आपन पत्र

मैं रमेश चन्द्र सिन्हा पिता स्वर्ण चंद्रशंकर सिन्हा उम्र करीब  
 59 वर्ष हिन्दू भारतीय पेशा कृषि निवासी ग्राम नौगरी  
 बड़गाँव थाना राजीमाबाद जिला भोजपुर इस जिले  
 एलपुन स्थान में हूँ।

- १) यह मैं मेरे 8 पौत्रों पर का स्वामी बिकारी हूँ।
- २) यह मैं 32 आर सामान्य सौदागरी का प्रवासी हूँ।
- ३) यह मैं रमेश चन्द्र सिन्हा उर्फ अनखिलेश राम उर्फ बल्लभ  
 उर्फ रमेश जी

४) यह मैं मेरा 8 पर वर्णित सभी नाम मेरा है जिसे  
 मैं नौगरी पद समस्त को उपभोग में लाया  
 है इस आपन पत्र की पुनर्वापस



1. ता 5 तक पूर्ण रूपसे ताहद बलम हमारे सभी  
 को सच है जिसे पदक समस्त लिखा नौ सरी  
 पाका आपन इस्वादा करना दिया।

1. समय धारकता को  
 2. इस समय 24 समय किता पदर किताको वृत्त  
 3. ...  
 4. ...

आपकी  
रमेश चन्द्र सिन्हा

R  
1.55 PM  
24.9.14

**FORM 'A'**

**Communication with regard to Authorised Persons to intimate names of Candidates set up by recognised NATIONAL OR STATE Political party or REGISTERED UN-RECOGNISED political party.**

(See paragraph 13(c), (d) and (e) of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968.)

To

1. The Chief Electoral Officer,

..... **BIHAR** ..... (State/Union Territory).

2. The Returning Officer for the

..... **32 अमरा** ..... Constituency.

Subject:- General Elections to **the House of the People (Lok Sabha), 2014** from ..... **BIHAR** ..... (State/Union Territory) - Allotment of Symbols - Authorisation of persons to intimate names of candidates.

Sir,

In pursuance of paragraph 13 (c), (d) and (e) of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, I hereby communicate that the following person (s) has/have been authorised by the party, which is National Party/State Party in the State of ...../Registered Un-recognised Party to intimate the names of the candidates proposed to be set up by the party at the election cited above.

Name of person authorised to send notice	Name of office held in the party	District(s)/area(s) constituency/constituencies in respect of which he has been authorised
(1)	(2)	(3)
<b>1. Km. Mayawati</b>	<b>National President</b>	entire <b>Bihar State</b>
2. xxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xxxxxxxxx
3. xxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xxxxxxxxx

22

2. The specimen signatures of the above mentioned person(s) so authorised are given below :-

1. Specimen signatures of **Shri Km. MAYAWATI**

(i) Mayawati (ii) Mayawati (iii) Mayawati

2. Specimen signatures of **Shri**

(i) xxxxxxxxxxxx (ii) xxxxxxxxxxxx (iii) xxxxxxxxxxxx

3. Specimen signatures of **Shri**

(i) xxxxxxxxxxxx (ii) xxxxxxxxxxxx (iii) xxxxxxxxxxxx

Yours faithfully,

Mayawati

**(MAYAWATI)**

National President/Secretary  
**Bahujan Samaj Party**  
Name of the Party

Place : New Delhi

Date : .....



(Seal of the Party)

**N.B.**

1. This must be delivered to the Returning Officer and the Chief Electoral Officer not later than 3 p.m. on the last date for making nominations.
2. Form must be signed in ink by the office bearer (s) mentioned above. No facsimile signature or signature by means of rubber stamp, etc., of any office bearer shall be accepted.
3. No form transmitted by fax shall be accepted.



FORM 'B'

NOTICE AS TO NAME OF CANDIDATE SET UP BY THE POLITICAL PARTY  
[See paragraphs 13(b), (c) and (e) and 13A of the election symbols (reservation and allotment) order 1968]

To

The Returning Officer for the

..... ३२. ३-११२१ ..... Constituency.

Subject: - General/bye Election to *the House of the People (Lok Sabha), 2014*

from ..... ३२. ३-११२१ ..... (Name of the

Constituency) in ..... *BIHAR* ..... (State/Union-Territory)

- setting up of candidate.

Sir,

In pursuance of paragraphs 13 (b), (c) and (e) and 13A of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, I hereby give notice on behalf of .... *BAHujan SAMAJ PARTY* .....(party)

- (i) that the person whose particulars are furnished in columns (2) to (4) below is the approved candidate of the party above named, and
- (ii) the person whose particulars are mentioned in columns (5) to (7) below is the substitute candidate of the party, who will step-in on the approved candidate's nomination being rejected on scrutiny or on his withdrawing from the contest, if the substitute candidate is still a contesting candidate.

231



at the ensuing general/bye election from this constituency :

Name of the Constituency	Name of the approved candidate	Father's/ Mother's/ Husband's name of approved candidate	Postal address of approved candidate	Name of the substitute candidate who will step-in on the approved candidate's nomination being rejected on scrutiny or on his withdrawing from the contest if substitute candidate is still a contesting candidate	Father's/ Mother's/ Husband's name of substitute candidate	Postal Address of substitute candidate
1	2	3	4	5	6	7
ड.क. जाला	रमेश चन्द्र मादन	स्व. संत काश राम	गृह संख्या: 29 ग्राम - बड़गौन हाकर - बड़गौन थाना - अजयगढ़ प्रदेश - उत्तरांचल अनुमंडल - आरा जिला - भोजपुर 842201			

2. The notice in Form 13 given earlier in favour of Shri/Smt/Sushri as party's approved candidate Shri/Smt/Sushri as Party's substitute candidate is hereby recorded.

3. It is certified that each of the candidates whose name is mentioned above is a member of the political party and his name is duly borne on the rolls of members of this party.  
Yours faithfully,



*(Handwritten signature)*

**(MAYAWATI)**

(Name and signature of the Authorised person of the Party)

Place : New Delhi

Date : .....

(Seal of the Party)

\* Score off, if not applicable.

**N.B.**

1. This must be delivered to the Returning Officer not later than 3 p.m. on the last date for making nominations.
2. Form must be signed in ink by the office bearer (s) mentioned above. No facsimile signature or signature by means of rubber stamp, etc., of any office bearer shall be accepted.
3. No form transmitted by fax shall be accepted.
4. Part 2 of the Form must be scored off, if not applicable, or must be properly filed, if applicable.

25



**बिहार सरकार**  
**GOVERNMENT OF BIHAR**

**फॉर्म - II**

नागरिकता का नाम

जिला : भोजपुर, अनुमंडल : अरा सहर, पंचत : अविद्या

**अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र**

अविद्या संख्या : 040718291121400983

दिनांक : 14/03/2014

प्रमाण-पत्र संख्या : C/14/00983

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी रमेश चन्द्र चादल Sri/Smt./Kumari RAMESH CHANDRA BADAL पुत्र/पुत्री/पत्नी स्व संत शरण राम Son/Daughter/Wife LATE SANT SHARAN RAM गाँव/ग्राम बड़गाँव Village/Town BARGAON तालुका अविद्या बड़गाँव जिला अजीमाबाद अनुमंडल अरा सहर जिला भोजपुर राज्य बिहार के निवासी हैं, जो कि अविद्या (अनुसूचित जाति) अधिनियम 1950, संविधान (अनुसूचित जाति) अधिनियम 1950, संविधान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (संशोधित) 1956 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम (संशोधन) अधिनियम, 1976 एवं संघ-समन्वय कक्षासंशोधित अधिनियम के अंतर्गत बिहार राज्य की सूची में अनुक्रम क्र. 6 पर वर्णित हैं। अतः श्री/श्रीमती/कुमारी रमेश चन्द्र चादल पुत्र/पुत्री स्व संत शरण राम अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्गीकृत हैं।

श्री/श्रीमती/कुमारी रमेश चन्द्र चादल एवं उनका परिवार गाँव/ग्राम बड़गाँव तालुका अविद्या जिला अजीमाबाद अनुमंडल अरा सहर जिला भोजपुर राज्य बिहार में निवास करते हैं।

अनुमंडल क्र. 4112  
दिनांक 15/3/14  
प्रतिष्ठित/प्रति

स्थान : अरा सहर  
दिनांक : .....

अनुमंडल प्रशासक



पदनाम, अनुमंडल/अरा सहर  
(आधिकारिक का मुहर सहित)



120  
15/2/14

निर्वाचक नामावली, 2014 (S04) बिहार



विधान सभा क्षेत्र की संख्या, नाम व अधिकाय स्थिति :	195 -बमिर्जीव - जयपुर(I)	समय संख्या	19A
--	--------------------------	------------	-----

सोच संख्या क्षेत्र की संख्या, नाम व अधिकाय स्थिति :	33 -जारा-नामान
---	----------------

1.पुनरीक्षण का विवरण :		निर्वाचक नामावली की पुनरीक्षण : विशेष अधिकाय पुनरीक्षण, 2014 के अन्तर्गत अल्प संख्यक में प्रस्तावित गठित एवं संशोधित हुए निर्वाचक सूची एवं उनके उपरोक्त निर्मित अनुसूचक सूची
पुनरीक्षण का वर्ष	:2014	
अर्हता की तिथि	:01.01.2014	
पुनरीक्षण का मसुदा	:विशेष अधिकाय पुनरीक्षण, 2014	
प्रकाशन की तिथि	:18.01.2014	

2.आय व संपत्ति क्षेत्र का विवरण :		
आय व संपत्ति क्षेत्र की संख्या व नाम :		
(1) -संख्या		
	सूचना संख्या	425514
	उपसंख्या	425514
	नाम	सतीमाया
	संख्या	003
	संख्या	425514
	संख्या	425514
	संख्या	425514
	संख्या	425514

3.संपत्ति क्षेत्र का विवरण :		
संपत्ति क्षेत्र की संख्या व नाम	194 -संख्या (1) विधान सभा क्षेत्र (1) संख्या	संपत्ति क्षेत्र की संख्या
		40900
संपत्ति क्षेत्र का संख्या व नाम	संख्या (1) विधान सभा क्षेत्र	संख्या
		4

4.सदस्यों की संख्या :				
अभिमत संख्या	अभिमत संख्या	सदस्यों की संख्या		
	1519	सूचना	संख्या	कुल
		194	194	1519

27

121  
15/2/14



बैंक खाते No.

दिनांक Date	विवरण Particulars	चेक नं. Cheque No.	आवृत्ति Withdrawals	जमा Deposits	बैलance Balance
	ARRAH BHATIAMARKET CHITRA TOLI ROAD ARRAH		80201		
	802025102		synd500@syndbank.co.in		SYNB0007500
	M. RAMESH CHANDRA BADAL SO LATE SANT SHARAN RAM VPO-BARGAON PS-AIMBADA DISTT-BHUPUR.			ARRAH	80201
	01/01/1984				
	9802200099270			Asst Cash	
	Account Name :	21/03/2014			
	Customer ID :	41854417			
	Ac. Operating instruction				
		21/03/2014			

29


( 91-92200095-27 )

बैंक खाता No.

दिनांक Date	विवरण Particulars	चेक नं. Cheque No.	निकास रकम Withdrawals	जमा Deposits	शेष Balance
20.02.2018	बैंक जमा			50000	50000

30





WTS Syndicate Bank  
www.wtsbank.com

Branch Name & Address of the Branch:

502025102  
571200735

Branch No.  
Telephone No.  
Fax No.  
E-mail

Business Hours  
M. RAJESH CHANDRA BAPU,  
SOLARISENUSI SHREEBHAM  
www.wtsbank.com

Name: 01/07/1984  
Address: 7652220099234  
PAN

Date of Birth: 21/03/2014  
Customer ID: 41894417  
A/C No. /

Account Instruction  
Nomination Registration No. B Date: 3/2/14

Date of Issue of Pass Book  
Authorised Signatory

51

**"प्ररूप 26"**  
(नियम 4 क देखि)



एके द्वारा कयवकर्ता को Rev. Ashok Kumar  
के द्वारा कयव करे द्वारा विद्युत कयव विभाग  
को D. N. K. K.  
कयवकर्ता द्वारा को परे है।



निर्वाचन क्षेत्र से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) 32 वाराणसी (राज्य का नाम) बिहार के लिए रिटर्निंग अफिसर के सम्मुख अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

**भाग-क**

1. रमेश चन्द्र शर्मा \*\*पुत्र/पुत्री/पत्नी स्व. श्री शरद शर्मा  
आयु 59 वर्ष, जो श्रीमती शर्मला शर्मा द्वारा अवैध/वैध जिमा  
मोटा/पूरा भार

(छाक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ-

1) मैं श्रीमती शर्मला शर्मा (\*\*राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में खड़ा रहा हूँ।



जो नाम है, उसे प्रकट दें।

2) मेरा नाम श्रीमती शर्मला शर्मा (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग से 184 को रूप से उपस्थित पर प्रविष्ट है।

3) मेरा सम्पर्क टेलिफोन नं. 9430222927 है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) ... है।

4) थप्पाई लेखा सत्यापक (पैन) को खोले और आय-कर विवरणी फाईल करने की प्रतिक्रिया।

क्रम सं०	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाईल की गयी है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपए में)



1.	स्वयं	शून्य	शून्य	शून्य
2.	पति या पत्नी	शून्य	शून्य	शून्य
3.	आश्रित-1	शून्य	शून्य	शून्य
4.	आश्रित-2	शून्य	शून्य	शून्य
5.	आश्रित-3	शून्य	शून्य	शून्य

5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सख्त अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

यदि अभिसंधी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी:-

I. निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	22/1/2014 कोर्ट के क्रमांक 59/15 मोहनपुर बिहार
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	U/S 302, 307, 354, 385 I & II 25/11/11/12 27-11-11/12
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान करने के जादेश की तारीख	जुडिसियल मैजिस्ट्रेट मुंगेर
(घ)	न्यायालय पुलिसके (जिनके) द्वारा आरोप (अपराधों) की शीर्षना की गई	जुडिसियल मैजिस्ट्रेट मुंगेर
(ङ)	लंबित (लंबितों) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	17/1/2014
(च)	जहां बन्दी या कोई कार्यवाही किसी सख्त अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा किया गया है/है	नहीं

II. निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	शून्य
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	शून्य

(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	३५-५
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विवरण की गई	३५-५
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	३५-५
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी स्तरीय अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा सेकी गई है/हैं	३५-५

मदद(१) में वर्णित मामलों से भिन्न:-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	३५-५
(ख)	उन मामलों के ब्यारे जहाँ न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसको (जिनको) लिए संज्ञान लिया गया है	३५-५
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलें)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्यारे	३५-५

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है:



यदि अधिनियमों उपयुक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह सिद्धदोष जानकारी प्रस्तुत करेगा:

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है:-

(क)	उन मामलों के ब्यारे अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसको (जिनको) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	३५-५
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख(तारीखें)	३५-५
(ग)	अधिसूचित दंड	३५-५
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यारे और वर्तमान प्रान्धिति	३५-५

7. मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और रबावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ,

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे-

टिप्पण 1- संयुक्त स्वामित्व की सीमा उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2- जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3- सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4- यहाँ आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5- रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
i	हाथ में नकदी	50000/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii	बैंक खातों में जमा ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में उक्त	500	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
iii	कंपनियों, शैक्षणिक निधियों और अन्य संस्थाओं, शेयरों/शेयरों तथा युनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
iv	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, प्रोविडेंट फंडों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
v	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अधिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
vi	मॉटरयान/वायुयान/घाट /घोत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

E:\rahman\ELC\form-28

	(मिक, इन्डिस्ट्रीकरण संख्या आदि कर करने का वर्ष और स्वामि)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
vii	जवदात बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यारे)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
viii	कोई अन्य आस्तिया जैसे कि दायों/हित का मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ix	समग्र कुल मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

आ. ज्वापर आस्तियों के ब्यारे

टिप्पण 1- संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2- प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रकार ने पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं.	विवरण	स्थल	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
i	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियों) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	मोनापूर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	1 बिघा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	हां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सांजित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिर्माण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	4 लाख		शून्य	शून्य	शून्य
ii	नगर भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियों) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	मोनापूर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	12 बिघा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	हां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सांजित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिर्माण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	20 लाख	शून्य	1 लाख	शून्य	शून्य
iii	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियों) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
iv	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	मोहा कडवाल याग/प/जी/क/व/	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	1/2 क.ड/	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	1/2 क.ड/	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	हां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
v	अन्य वित्तीय संपत्ति में हित	1000000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
vi	पूर्वाक्त (i) के (iv) का कुल चालू बाजार मूल्य	5,70,500	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

8) मैं लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोधों के ब्योरे नीचे देता हूँ-

(टिप्पणी कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यक्ति के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्योरे का पृथक विवरण दें)

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
i	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं को ऋण या शोध बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पूर्वाक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यक्तियों/निकाय को ऋण या शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

	नाम, पता, रकम, रूप की प्रकृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य दाविल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	दाविलों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
II	सरकारी शोध: सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सरकारी धनियहन (विद्युत और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	जलय-कर शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	भनकन शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सेवाकर शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	नगरपालिका/संपत्ति कर शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निवासकर शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
III	रानी सरकारी शोध का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
IV	एक, कोई अन्य, वास्तविक विद्यार्थीन है, यदि हाँ, तो अंतर्गत रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लिखित है का वर्णन करें।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

9) वृत्ति या उपलब्धिकर के ब्यौरे

(क) लव दुबि

(ख) पति या पत्नी प्राज्ञा

10) मेरी शैक्षिक जाँच नोच दिने अनुसर है-

साक्षर

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री माध्यम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें कार्यक्रम पूरा किया गया था का ब्यौरे दें)

भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गये ब्यौरे का उद्हरण

1	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/श्री २ मेधावन्द ब/इ/त				
2	डाक का पता	ग्राम पंचायत बड़गाँव भाग अजीमाबाद मोहनपुरा				
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	82 आरक्षणी ब/इ/र				
4	उस राजनैतिक दल का नाम जिनमें अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	बहुजन समाज पार्टी				
5	i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं	(1) एक				
	ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयी) ने संज्ञान लिखा है (उपर मद् (i) उल्लिखित मामलों से भिन्न)	(1) एक				
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदायक ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)	शून्य				
7		_____ का स्थायी लेखा सं०	यह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गयी है।	कुल दर्शित आय		
	(अ) अग्रणी	शून्य	शून्य	शून्य		
	(ब) प्रति या फल	शून्य	शून्य	शून्य		
	(क) आश्रित	शून्य	शून्य	शून्य		
8	आश्रितों और दायित्वों के ब्यौरे (क्रम में)					
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क	जगम आश्रितियाँ (कुल मूल्य)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख	स्थावर आश्रितियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	i स्वअर्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	ii क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

	(यदि लागू हो)					
iii	निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	शून्य				
	(क) संचित्त आसिया (कुल मूल्य)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
	(ख) विरासती आसिया (कुल मूल्य)	उत्कृष्टतम शैली				
9	दायित्व					
i	सरकारी शोध्य (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10	ऐसे दायित्व जो विवादधीन है					
i	सरकारी शोध्य (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11	उच्चतम शैलिक अहंता					



(प्रमाणपत्र / डिप्लोमा / डिग्री के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय / विश्वविद्यालय / विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / विश्वविद्यालय का नाम और वर्ग जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था का धारें हैं।)

#### सत्यापन

मैं, उपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग गिब्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तालिक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि—

(क) मेरे विरुद्ध उपर भाग क और ख की मद 5 और 8 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामलों से बिना कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है,

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आसितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 9 और 10 में उल्लिखित आसित या दायित्व से बिना कोई आसित या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 24/3/14 को सत्यापित किया गया।

अभिसाक्षी

Signature/Name/Date

Identified the signatory as the signed/pull - in my presence

Signature

40



टिप्पण: 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3.00 बजे अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण: 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण: 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़ें, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थित "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण: 4. शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण: 5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गए न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जांच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो "शून्य" या "लागू नहीं" या 'ज्ञात नहीं' जो उपयुक्त हो, ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पण: 6. शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

"मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्याएँ है/हैं.....9430882987, 9308851785  
मेरा ई-मेल आईडी0 (अगर कोई हो) है.....शून्य  
एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है.....शून्य